



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 28/18

निर्णय दिनांक: 6.3.2018

- | | |
|-----------------|--|
| 1. मलकीत सिंह | पिसरान भागसिंह माता तेजकौर पत्नी भागसिंह |
| 2. हरजीत सिंह | जाति जटसिख निवासी 42 केवाईडी खाजुवाला |
| 3. जसवीर सिंह | हाज बुकलावाली तहसील संगरिया जिला |
| 4. कर्मजीत सिंह | हनुमानगढ़। |

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पूगल।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 16-09-2000
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 16-09-2000 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 4 एसएम के मुरब्बा नम्बर 179/51 में किला नम्बर 1 ता 25 में तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट को उक्त रकबा आवंटन कर दिया गया। किन्तु उक्त रकबे को 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट आज दिन भी उक्त राशि जमा कराने को तैयार है। अपीलांट ने कभी भी उक्त राशि जमा कराने से इंकार नहीं किया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16-09-2000 के विरुद्ध अपील 11-01-2018 को पेश की है। जो करीब 18 वर्ष विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र निर्धारित राशि अर्थात् 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज किया गया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 16-09-2000 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील दिनांक 11-01-2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 4 एसएम के मुरब्बा नम्बर 179/51 में के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को क्रमांक 2107 दिनांक 03-03-2000 को नोटिस जारी किया गया कि वे वांछित सबूत यथा वोटर लिस्ट, मूल निवास की प्रमाणित प्रति, भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, सद्भाविक कृषक का प्रमाण पत्र व आवंटन हेतु निर्धारित राशि अर्थात् 35 प्रतिशत राशि जमा कराने हेतु उपस्थित हो, अन्यथा आवेदन पत्र खारिज कर दिया जायेगा।

(2) अपीलांट निर्धारित तिथि को आवंटन अधिकारी के समक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुआ व ना ही आवंटन हेतु निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। जबकि अपीलांट को आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ ही वांछित सबूत प्रस्तुत करने अपरिहार्य थे।

अपीलांट द्वारा न तो अपने आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ वांछित सबूत प्रस्तुत किये व ना ही अदालत मातहत द्वारा जारी नोटिस की पालना में वांछित सबूत व निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु उपस्थिति हुआ। अतः ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सही खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी। जो विधि सम्मत है।

(3) तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि अपीलांट निर्धारित तिथि को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर रकम जमा नहीं करवा सका। प्रार्थी रकम जमा करवाने को तैयार है लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रकम जमा करवाने के आदेश प्रदान करावें। उक्त

प्रार्थना पत्र के अनुसरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को वादगत् भूमि की 35 प्रतिशत राशि 92,400/- रुपये का चालान दिनांक 31-05-2000 को जारी कर उक्त राशि सात दिवस में जमा कराने हेतु पाबन्द किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त चालान में निर्धारित राशि जमा करवाकर चालान अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा इस आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है कि प्रार्थी भूमि आवंटन का इच्छुक नहीं रहा है। अतः प्रार्थी को आवंटित भूमि चक 4 एसएम के मुर्ब्बा नम्बर 179/51 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन खारिज किया जाता है। चूंकि अपीलांट न तो पूर्व में अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित

आया व ना ही रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त अदालत मातहत द्वारा जारी चालान को जमा करवाते हुए अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आया। इससे साबित है कि अपीलांट वादगत् भूमि के आवंटन का इच्छुक नहीं रहा है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 16-09-2000 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 6.3.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

